राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांकः 615 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH) दिनांक– 23/8/16

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
जिला नगरीय विकास अभिकरण
कानपुर।

2. **नगर आयुक्त / नगर निगम**
कानपुर।

विषयः–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ''शहरी बेघरों हेतु आश्रय'' योजना के अन्तर्गत'' परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय / महोदया,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ''शहरी बेघरों हेतु आश्रय'' योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर में शहरी बेघरों के लिए आश्रय के उच्चीकरण / नवीकरण (refurbishment) हेतु प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति ''राज्य परियोजना स्वीकृति समिति'' द्वारा प्रदान की गयी हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 02.08.16 का कार्यवृत्त जारी किये जाने की संख्या एवं दिनांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं में शहरी बेघरों की क्षमता	स्वीकृत निर्माण लागत	पांच वर्षों के संचालन और अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि	निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि	निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त की धनराशि (40%)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	589 / 241 / NULM / तीन / 2001एस0यू0एच0 दिनांक– 12.08.2016	सुतरखाना	17	11.54	10.20	06 माह	4.616
2	तदैव	बादशाही नाका	30	8.91	18.00	06 माह	3.564
3	तदैव	ढ़कनापुरवा	28	13.36	16.80	06 माह	5.344
4	तदैव	फूलबाग	34	13.91	20.40	06 माह	5.564
5	तदैव	पंकी मन्दिर	80	21.42	48.00	06 माह	8.568
6	तदैव	उस्मानपुर	20	7.79	12.00	06 माह	3.116
7	तदैव	सरसैया घाट	52	15.92	31.2	06 माह	6.368
8	तदैव	बी0एन0 भल्ला हॉस्पिटल	30	9.71	20.40	06 माह	3.884

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की कार्यवृत्त के अनुक्रम में उल्लिखित परियोजनाओं की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी गई हैः–

1. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55 / 2003 एवं 572 / 2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की

जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम का होगा।

2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई–डूडा को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

3. आश्रय गृह के उच्चीकरण/नवीकरण के स्तर को दृष्टिगत निर्माण की सन्तोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थिति में निर्माण लागत 40%, 40% और 20% की तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी और प्रथम अवमुक्त किश्त की 70% धनराशि उपयोग करने के पश्चात द्वितीय किश्त जारी की जायेगी। इसी प्रकार पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपरोक्तानुसार उपभोग कर लेने और नवीकरण (refurbishment) के संतोषजनक प्रगति की स्थिति में तीसरी किश्त अवमुक्त की जा सकेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित विवरण, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में की गई निरीक्षण आख्या, आश्रय गृह के निर्माण की प्रगति को दर्शित करते हुए अद्यावधिक फोटोग्राफ तथा आश्रय गृह में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की किसी प्रतिष्ठित और अनुमोदित प्रयोगशाला में की गई टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

5. आश्रय गृह के संचालन और अनुरक्षण हेतु धनराशि उच्चीकरण/नवीनीकरण पूर्ण होने पर अवमुक्त की जायेगी।

6. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

7. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्माण कार्य की विस्तृत समय सारणी एवं बार चार्ट कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

8. निर्माण कार्य के साथ–साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

10. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकाय/प्राधिकरण आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

11. नवीनीकरण के कार्य स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यबाही करते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

13. शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।

14. आगणन पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

15. शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन सम्बन्धी दिशा निर्देशों (operational guidelines) और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ को धनराशि अवमुक्त की कार्यवाही हेतु।
6. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण कानपुर को अनुपालनार्थ।
7. सहायक वेबमास्टर सूडा को इमेल से प्रेषण एवं सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक